



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र 1948 (श10)

(सं0 पटना 1085) पटना मंगलवार 8 सितम्बर 2026

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

28 अगस्त 2026

सं० 6/नि0प्रति0नियु0-01-01/2026/वा0कर/3319—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार वित्त सेवा के लिए अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनका स्थायी अथवा अस्थायी पतों की चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है) को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान लेवल-9 रू0-53100-1,67,800 में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त के रूप में औपबंधिक रूप से अगले छः माह के लिये नियुक्त किया जाता है:—

क्र० सं०	उम्मीदवारों का नाम	मेधा क्रमांक	आयोग द्वारा अनुशंसित आरक्षण कोटि	गृह जिला	अभ्युक्ति (वांछित कागजात)
1	2	3	4	5	6
1	सलाह असमर	203	01	धनबाद (झारखंड)	पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन/त्याग पत्र
2	शाएक इकबाल आरिफ	886	04	पटना	पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन/त्याग पत्र

2. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ अगले छः माह के लिये की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तब तक विस्तारित होता रहेगा, जब तक कि अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता है।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के सम्बंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

4. जिन अभ्यर्थियों ने जाँच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्तम्भ-6 में यथा उल्लेखित वांछित प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किया है, वे वांछित प्रमाण-पत्र राज्य-कर अपर आयुक्त, राजपत्रित शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के समक्ष समर्पित करेंगे।

5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-3454 दिनांक-28.02.2024 के आलोक में सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि 01 (एक) वर्ष की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-2160 दिनांक 05.02.2025 में निहित शर्तों के अनुसार होगी।

6. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है जिसे मूलरूप में प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

9. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल में समर्पित करेंगे।

12. सभी संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त के पद पर विभाग में नियुक्त करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु बिपार्ड, पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

13. सभी संबंधित परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त की प्रशिक्षण अवधि में उनके वेतन का भुगतान मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विजय कुमार,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1085-571+300-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>